

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रारं/आरटीई/दिशानिर्देश/18878/2021-22/

दिनांक :- 11.03.2022

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय,  
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा,  
समस्त जिले।

**विषय**—वित्तीय वर्ष 2021-22 में आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की शैक्षिक सत्र 2021-22 की प्रथम किस्त के पुनर्भरण के संबंध में दिशा-निर्देश।

**संदर्भ**—राज्य सरकार के आदेश क्रमांक— प.8(5) शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट सत्र 2021-22/ 2021 जयपुर, दिनांक 10.03.2022 की पालना में तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक— प.8(5) शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट सत्र 2021-22/ 2021 जयपुर, दिनांक 02.03.2022।


उपर्यक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु नव प्रवेशित व पूर्व क्रमोन्नत बालकों की सत्र 2021-22 की प्रथम किस्त का पुनर्भरण गैर सरकारी विद्यालयों को किया जाना है। बालकों के भौतिक सत्यापन के पश्चात गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना है तथा आपके कार्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 तथा 2021-22 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के सही पाये जाने के उपरांत उन्हें सत्यापित किया जाना है। विद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 का क्लेम बिल जनरेट कर उसकी हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि/मा.शि मुख्यालय कार्यालय में पंजीकृत (एडी) डाक से प्रेषित किए जाने के बाद पुनर्भरण किया जाना है। अतः इस संबंध में निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं—

01. शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु शासन द्वारा जारी संदर्भित पत्र दिनांक 02.03.2022 (प्रति संलग्न) की पालना में निर्धारित निर्देशों अनुरूप आरटीई पुनर्भरण किया जाना है।
02. शैक्षिक सत्र 2021-22 में गैर सरकारी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि 202/- (अक्षरे रूपये दो सौ दो मात्र) प्रतिबालक प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रथम किस्त के साथ पुनर्भरण किया जाएगा।
03. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें विद्यालय में आरटीई एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के बाद ही द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किया जाएगा।

०२/

04. कार्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 तथा 2021-22 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के सत्यापन के उपरांत ही शैक्षिक सत्र 2021-22 के क्लेम बिलों के पास-आर्डर बनाए जाए ताकि किसी त्रुटि की संभावना ना रहें।
05. संबंधित कार्यालयों द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 के क्लेम बिलों के पास आर्डर वरीयता क्रम (टोकन नंबर) अनुरूप ही बनाए जाएंगे। ताकि आरटीई पुनर्भरण में पारदर्शिता बनाई जा सकें।
06. शैक्षिक सत्र 2020-21 में ऑनलाईन शिक्षण सत्यापन में सही पाये जाने वाले विद्यालयों द्वारा क्लेम बिल जनरेट कर उसकी हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि/मा.शि मुख्यालय कार्यालय में पंजीकृत (एडी) डाक से दिनांक 20.03.2022 तक प्रेषित किये जा सकेंगे तथा इनका पुनर्भरण संबंधित कार्यालय के माध्यम से दिनांक 31.03.2022 तक किया जाएगा।
07. शेष पूर्व सत्रों के आरटीई पुनर्भरण अनुरूप ही कार्यवाही की जाए।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

  
(काना राम)


IAS

निदेशक

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा ग्रुप-5 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्री विनोद जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. शिक्षा संकुल, जयपुर को पोर्टल पर व्यवस्थार्थ।

  
उपनिदेशक (आरटीई)  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

ई-मेल / आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

कमांक :प.8(5)शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट सत्र 2021-22/2011

जयपुर, दिनांक:

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

02 MAR 2022


विषय:- गैर सरकारी विद्यालयों को आर.टी.ई. एक्ट, 2009 की धारा 12(1) (ग) के प्रावधानान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021-22 में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के लिए पुनर्भरण राशि हेतु प्रति बालक प्रति वर्ष व्यय (यूनिट कॉस्ट) हेतु आदेश जारी करवाने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/यूनिटकॉस्ट/18890/  
2021-22/28 दिनांक 15.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानानुसार राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय पुस्तकों रहित रूपये 13,535/- (अक्षरे तेरह हजार पाँच सौ पैंतीस रुपये मात्र) प्रतिवर्ष तथा प्रति बालक प्रतिवर्ष दी जाने वाली नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकों की राशि रु 202/- (अक्षरे रुपये दो सौ दो मात्र) अर्थात् पुस्तकों सहित कुल पुनर्भरण राशि 13,737/-रूपये (अक्षरे तेहर हजार सात सौ सैंतीस रु.)व्यय किये जाने की निम्न शर्तों के अध्वधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह यूनिट कोस्ट सत्र 2021-22 के लिए लागू होगी।
2. प्रविष्ट किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने नियंत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
3. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का ध्यान रखा जायेगा।
4. इस यूनिट कोस्ट में निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेगे।
5. इस यूनिट कोस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
6. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।
7. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू-आवंटन की शर्तों में नि:शुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।



लगातार—2

8. विभाग द्वारा विद्यालय का शुल्क अथवा समिति द्वारा अनुमोदित राशि (यूनिट कॉस्ट राशि) दोनों में से जो कम हो, का ही पुनर्गण किया जावे एवं इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया/संबंधित दिशा-निर्देश एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को सुनिश्चित करते हुए निजी स्कूलों के उचित सत्यापन के साथ-साथ ऑन-लाइन अध्यापन की अवधि का वित्त विभाग की आई.डी. सं. 102104490 दिनांक 05.10.2021 द्वारा दिये गये परामर्श अनुसार सत्यापन करने के उपरान्त ही राशि का भुगतान किया जावे ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी. संख्या 102200995 दिनांक 28.02.2022 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

भवदीया,

*Sheela Rani*  
(शीला रानी) 02/03/2022

वरि. शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त, सर्वशिक्षा अभियान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, आयुक्त, शिक्षा परिषद, जयपुर ।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
9. उप शासन सचिव, शिक्षा (युप-6) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
10. उप शासन सचिव, आयोजना, जनशक्ति विभाग राजस्थान, जयपुर ।
11. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर ।
12. वित्तीय सलाहकार, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर ।
13. रक्षित पत्रावली ।

सहायक शासन सचिव